

(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं. 04/2017-सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक, 19 जनवरी, 2016

सा.का.नि. (अ)- जबकि कि पदनामित प्राधिकारी ने, चीन जनवादी गणराज्य, चीनी ताइपी, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और कोरिया पीपुल्स रिपब्लिक में मूलतः उदगमित अथवा वहां से निर्यात की गई तथा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 54 के अंतर्गत आने वाले नायलॉन फिलामेंट यार्न पर, दिनांक 13 जनवरी, 2012 की सा0का0नि0 सं. 13(अ) के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 13 जनवरी, 2012 की अधिसूचना सं. 03/2012-सीमा शुल्क (एडीडी) के अंतर्गत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, की धारा 9क की उपधारा (5) की शर्तों के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण तथा संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के अनुक्रम में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड 1 में दिनांक 9 जनवरी, 2017 को प्रकाशित दिनांक 9 जनवरी, 2017 के अधिसूचना सं0 15/17/2016- डीजीएडी के अंतर्गत समीक्षा प्रारंभ की थी तथा उपरोक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (5) के शर्तों के अनुसार एक और वर्ष के लिए प्रतिपाटन शुल्क को बढ़ाए जाने का अनुरोध किया है।

अब उपयुक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उपयुक्त नियमों के नियम 23 के अनुक्रम में केन्द्र सरकार एतदद्वारा, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं.13(अ) के अंतर्गत दिनांक 13 जनवरी, 2012 को प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 13 जनवरी, 2012 की अधिसूचना संख्या सं. 3/2012-सीमा शुल्क (एडीडी) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्-

उपर्युक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात तथा स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित पैराग्राफ अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

“3. पैराग्राफ 2 में विहित किसी भी बात के बावजूद यह अधिसूचना 12 जनवरी, 2018 जिसमें यह तारीख भी शामिल है तक प्रभावी रहेगी, यदि इसे पहले रदद नहीं कर दिया जाए।”

(फा. सं. 354/19/2006-टीआरयू भाग II)

(अनुराग सहगल)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी: मूल अधिसूचना सं. 3/2012-सीमा शुल्क (एडीडी), 13 जनवरी, 2012, सा0का0नि0 सं. 13(अ) दिनांक 13 जनवरी, 2012 में भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी।